E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–21/2023.......8266/भू0 29/9/2023

आदेश

"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–2228 दिनांक–17.03.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी मो0 नुरूल्लाह रहमानी, (Emp. ID No.- AEN03193), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी मो0 नुरूल्लाह रहमानी के अपील की सुनवाई हेतु दिनांक–04.08.2023 को 04:00 बजे अपराह्न निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें ई–मेल के द्वारा प्रेषित की गयी है। निर्धारित तिथि एवं समय पर वाद की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की ओर से मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील अभ्यावेदन पर निदेशालय द्वारा दायर मंतव्य व अन्य अभिलेखों, साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि मो0 नुरूल्लाह रहमानी, (Emp. ID No.- AEN03193), विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–812/बन्दो0 दिनांक–08.09.2022 द्वारा खानापुरी कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण न करने, खानापुरी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ–साथ अपनी लापरवाही तथा अक्षमता को छिपाने के प्रयास हेतु ऑकड़ों में फर्जी रिपोर्टिंग करने व अन्य आरोपों के आधार पर चयन मुक्त की अनुशंसा की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–2690 दिनांक–29.09.2022 द्वारा आरोपित को 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र निर्गत की गयी।

अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–07.10.2022 को समर्पित की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण में मो0 रहमानी द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण के गांव में नहीं रहने तथा अधिकतर ग्रामीणों के अशिक्षित रहने के कारण इनके द्वारा की जा रही खानापुरी कार्य पर कुप्रभाव पड़ा है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि रैयती एवं सरकारी खेसरों की संख्या की एक साथ प्रविष्टि के फलस्वरूप प्रतिवेदन गलत हुआ है।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन एवं अन्य अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी सितम्बर, 2020 से सीतामढ़ी के रीगा अंचल के शिविर–2 मे पदस्थापित है। बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी के आदेश ज्ञापांक–346 दिनांक–17.09.2020 के द्वारा इन्हें राजस्व ग्राम–मकदुमपुर सांखी, थाना संख्या–265 आवंटित किया गया है। आवंटित राजस्व ग्राम मकदुमपुर सांखी, के विशेष सर्वेक्षण के अन्य प्रक्रमों के कार्य समाप्ति के उपरान्त दिनांक–21.07.2022 से खानापुरी प्रक्रम का कार्य इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है।

नियत समय में खानापुरी समाप्ति हेतु शिविर प्रभारी द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद निर्धारित खेसरों का खानापुरी कार्य संपन्न नहीं किये जाने तथा अपनी अक्षमता एवं लापरवाही को छिपाने के लिए फर्जी रिपोर्ट करना उनकी कार्य के प्रति घोर लापरवाही है।

अपीलार्थी द्वारा यह भी अंकित किये गये है कि स्थानीय जनता/रैयतों के द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं स्वामित्व से संबंधित कागजात ससमय उपलब्ध नहीं कराने एवं कास्तकारों द्वारा उनके जमीन के कागजात जो बाढ़ एवं आग में नष्ट हो जाने में नकल प्राप्त करने में हो रहे विलंब के कारण खानापुरी कार्य में विलंब हुए है तथा अपने पक्ष में में स्थानीय सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं 192 ग्रामीण जनताओं द्वारा अपने किये जा रहे कार्य की संतुष्टि का प्रमाण प्रस्तुत किया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल कागजात में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस बात का प्रमाण किसी के द्वारा नहीं दिये गये है कि रैयतों का कागजात बाढ़ एवं आग में विनिष्ट हुए हो। समयबद्ध किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्वाकांक्षी कार्य–योजना, कार्य संतुष्ट का प्रमाण मात्र से पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। विगत् सितम्बर, 2020 से एक ही मौजा में रहकर कार्य करने के बावजूद यह प्रतिवेदित करना कि स्थानीय जनता/रैयतों के द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य में अभिरूचि नहीं ली गयी, इनकी शिथिलता, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही को प्रदर्शित करता है, साथ ही संबंधित जिला के नोडल पदाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा के दौरान स्थानीय रैयतों द्वारा इनके विरूद्ध गंभीर किस्म की शिकायत भी मौखिक रूप से की गयी है।

सुनवाई के दौरान आरोपित द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जो इन पर लगाए गए आरोपों को खंडित करता हो। अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या–2228 दिनांक–17.03.2023 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचना के आलोक में मो0 नुरूल्लाह रहमानी, (Emp. ID No.- AEN03193), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–21/2023.......8266.......**पटना, दिनांक** :–29/09/2023

प्रतिलिपिः– मो0 नुरूल्लाह रहमानी, (Emp. ID No.- AEN03193), (संविदा समाप्त) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी, Email- nurullahrahmani29@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

27/9/23

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–21/2023.......8266.......**पटना, दिनांक** :–29/09/2023

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/9/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–21/2023.......8266.......**पटना, दिनांक** :–29/09/2023

प्रतिलिपिः– संबंधित स्थापना सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/9/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–21 / 2023 8266 **पटना, दिनांक** :– 29/09/2023

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–21 / 2023 8266 **पटना, दिनांक** :– 29/09/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/9/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप